5 बिल्डरों पर चलेगा आपराधिक केस

पटना। रेरा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले पांच बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने इन बिल्डरों के खिलाफ रेरा बिहार की ओर से रेरा अधिनियम की धारा 59 (1) के तहत पारित आदेश का पालन नहीं करने के लिए दायर मामलों का संज्ञान लिया है।

इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परियोजनाओं का निबंधन नहीं कराया था, जिसके कारण उनके विरुद्ध रेरा द्वारा आदेश पारित किया गया था। अब सीजेएम की अदालत में इन पांच बिल्डरों पर मुकदमा चलेगा। इन बिल्डरों पर धारा 316 (2)/3 (5) और रेरा अधिनियम की धारा 59 (2) के तहत मुकदमा चलेगा।